कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

पत्र संख्या–9/उपा०कीट०अनु०–30/2010 – /कृ0, पटना, दिनांक ....मई, 2015

प्रेषक :

धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री संजीव कुमार चौधरी,
मेसर्स ऑरटेक्ट ऑरगेनिक्स प्रा0लि0,
ए–47, इण्डस्ट्रीयल एरिया,
बेला, मुजफ्फरपुर।

विषय :– **कीटनाशी विनिर्माण अनुज्ञप्ति संख्या–25 दिनांक 21.03.2013 वैधता तिथि 31.12.2014 का नवीकरण के संबन्ध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपसे प्राप्त आवेदन प्रपत्र IV, कोषागार चालान एवं अन्य संगत कागजात तथा उप कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर से प्राप्त स्थल जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के आलोक में विनिर्माण अनुज्ञप्ति संख्या–25 दिनांक 21.03.2013 वैद्यता तिथि 31.12.2014 का नवीकरण दिनांक 31.12.2016 तक के लिए किया जाता है। साथ ही 27 नये उत्पादों का इन्डोर्समेन्ट किया जाता है।

क्र०	कीटनाशी का नाम
1	Imidacloprid 17.8% SL

इन्डोर्समेन्टः–

क्र०सं0	कीटनाशी का नाम	क्र०सं0	कीटनाशी का नाम
1	Alphamethrin 10% EC	15	Hexaconazole 5% EC
2	Dichlorvos 76% EC	16	Cartap Hydrochloride 50% SP
3	Chlorpyriphos 20% EC	17	Acephate 50%+Imidacloprid 1.8% SP
4	Ethion 40%+Cypermethrin 5% EC	18	Monocrotophos 36% SL
5	Pendimethalin 30% EC	19	Metsulfuron Methyl 20% WP
6	Triazophos 40% EC	20	Carbendazim 12%+Mancozeb 63% WP
7	Atrazine 50% WP	21	Profenophos 50% EC
8	Acetamiprid 20% SP	22	Profenofos 40%+Cypermethrin 4%EC
9	Isoproturon 75% WP	23	Dicofol 18.5%EC
10	Thiamethoxam 25% WG	24	Glyphosate 41% S.L.
11	Tricyclazole 75% WP	25	Propargite 57% EC
12	Sulfosulfuron 75% WG	26	Fenvalerate 20% EC
13	Metalaxyl 35% WS	27	Acephate 75% SP
14	Carbendazim 50% WP		

2. केवल अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों का ही विनिर्माण कर सकेंगे। अन्य कीटनाशियों का विनिर्माण सर्वथा वर्जित होगा।

3. आदेश दिया जाता है कि प्रदत कीटनाशियों का विनिर्माण कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 में निहित प्रावधानों के अनुकूल किया जाय।

4. भारत सरकार तैथा राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्र का अनुपालन आवश्यक होगा तथा इनके द्वारा अमानक अथवा प्रतिबंधित कीटनाशियों का विनिर्माण तुरंत बंद कर देना होगा।

5. विनिर्माण अनुज्ञप्ति में वर्णित कीटनाशी का विपणन/बिक्री उन्हीं फसलों के लिए की जाएगी जिन फसलों के लिए CIB & RC द्वारा Lable claim की स्वीकृति दी गई है। किसानों के बीच उक्त कीटनाशी के उपयोग की जानकारी समग्र रूप से दे दी जाय।

6. अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में अनुज्ञापन पदाधिकारी को भेजना सुनिश्चित करेंगे तथा संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण) तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को भी इसकी प्रतियां दी जाय।

7. मूल अनुज्ञप्ति सं0– 25 दिनांक 21.03.2013 मूल रूप में संलग्न है। कृपया पावती की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(धर्मेन्द्र सिंह)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2749 /कृ0, पटना, दिनांक 12 ~~मई~~ जून, 2015

प्रतिलिपि– (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान), बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई0 टी0 मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।